

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक एफ.1754 सीसी/स्वा.का.पु./2019/170

दिनांक : 8/2/19

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.1754 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2653 दिनांक 28.12.18 में प्रतिलिपि क्रमांक 5 एवं 6 में आंशिक संशोधन करते हुये "संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर के स्थान पर संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के स्थान पर 'मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली' पढा जावे, आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

दिनांक : 8/2/19

क्रमांक एफ.1754 सीसी/स्वा.का.पु./2019/170

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/भरतपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा/करौली।
7. संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सचिव रुम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रखित पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर